PHILOSOPHY
Hons., Paper-III (Part II)

Dr. S. K. Singh
Mob.- 9431449951.

## Deterrent Theory of Punishment
## (दण्ड के निवर्तक सिद्धान्त)

→ यह सिद्धांत के अनुसार दण्ड स्वयं साध्य न होकर अपराधों के निवारण का साधन है। अतः यहाँ अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य दूसरों को भविष्य में उसी प्रकार के अपराध से रोकना है।

→ निवर्तक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य केवल दूसरों के लिये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे हतोत्साहित एवं भयभीत होकर अन्य व्यक्ति वैसा अपराध करने का विचार त्याग दे। इसलिये इसमें दण्ड की मात्रा अपराध से अधिक कठोर होती है। इसी धारणा के आधार पर पहले छोटे-छोटे अपराधों के लिये भी कठोर दण्ड की व्यवस्था होती थी।

→ इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति न्यायाधीश के इस सूत्र-वाक्य से होती है कि 'तुम्हें भेड़ चुराने के लिये दण्डित नहीं किया जा रहा है बल्कि दण्डित किया जा रहा है कि आगे भेड़ की चोरी नहीं हो'। इस प्रकार स्पष्ट है कि दण्ड संबंधी यह सिद्धांत एक परिणामापेक्षावादी (Consiquentalist या Teleological theory) है।

Scanned with CamScanner

→ निवर्तक सिद्धांत भी अपने चरम रूप में मृत्युदण्ड को स्वीकार करता है। निवारक सिद्धांत (Deterrent ~~Theo~~ theory) में जहाँ अपराधी के दण्ड द्वारा अन्य व्यक्तियों को वैसा ही अपराध करने से रोका जाता है वहीं दण्ड के निरोधात्मक सिद्धांत ~~(the~~ (Preventive theory) द्वारा उस व्यक्ति को बार-बार ~~उसे~~ अपराध करने से रोक दिया जाता है। इसमें दण्डित व्यक्ति को वैसा अपराध करने के अयोग्य बना दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप - किसी भ्रष्ट अधिकारी को पदच्युत कर देना।

→ इस सिद्धान्त के समर्थक बेंथम, ग्रीन, कोलाँके जैसे ब्रिटिश चिन्तकों की विचारधारा में दिखाई देता है।

बेंथम के अनुसार यदि दण्ड कठोर हो और सार्वजनिक रूप से दिया जाय तो वह अपराधों के निवारण में सहायक सिद्ध होता है। ऐसी व्यवस्था 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' के हित में सहायक होती है।

कोलाँके के अनुसार दण्ड का प्रयोजन व्यक्ति के अचेतन मन को सचेत करना है, जिससे दण्ड की पीड़ा का भय उसे पुनः अपराध न करने के प्रति सचेत करे, क्योंकि अपराध करते समय मनुष्य का चेतन मन दण्ड के प्रति जागरूक नहीं रहता।